रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042021-226674
CG-DL-E-16042021-226674

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 2021/चैत्र 26, 1943
No. 219]	NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 2021/CHAITRA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 276(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 के खंड (क), खंड (घ) और खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... .. संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में यथा निहित के अलावा, ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित), नियम 47 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(गक) यदि आवेदक इन-सीरीज पंजीकरण चिह्न के लिए आवेदन करता है, के मामले में प्रपत्र 20क में कार्यात्मक प्रमाण पत्र निजी क्षेत्र में उपयोगी होगा।

(गख) आवेदक के सरकारी अधिकारी होने की स्थिति में आधिकारिक पहचान पत्र।

3. उक्त नियमों में, नियम 50 में उप-नियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

XX	XX	XX ####
पंजीकरण के वर्ष के अंतिम दो अंक	भारत सीरीज़ कोड (2) अक्षर "इन" के रूप में	4 अंक 0001 से 9999 तक के बाद एए से शुरू होने वाले और जेडजेड से समाप्त होने वाले दो अक्षर।

4. उक्त नियमों में नियम 51 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"51क. मोटर वाहन कर के सिद्धांत - (1) गैर-परिवहन वाहनों के मामले में, मोटर वाहन कर की गणना वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर चालान मूल्य के आधार पर पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी।

(2) इन- सीरीज के गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में पंजीकरण के समय राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लगाया गया मोटर वाहन कर निम्नलिखित होगा, अर्थात्: -

क्र.सं.	चालान मूल्य	मोटर वाहन कर (चालान मूल्य का %)	टिप्पणियां
1.	10 लाख रुपये से कम	8%	डीजल वाहनों के लिए 2% अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2% कम कर लगाया जा सकता है।
2.	10-20 लाख रुपये	10%	
3.	20 लाख रुपये से अधिक	12%	

(3) यदि वाहन में इन-सीरीज पंजीकरण चिह्न है, तो मोटर वाहन कर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोर्टल के माध्यम से दो वर्ष के लिए या दो के गुणकों में, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित तरीके से लगाया जाएगा: -

इन-सीरीज पंजीकरण के तहत वाहन के लिए मोटर वाहन कर दो साल के लिए	=	$\frac{\text{चालान मूल्य के अनुसार मोटर वाहन कर} * 1.25 * 2}{15}$
नोट: सड़क कर के भुगतान में देरी के मामले में प्रति दिन एक सौ रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।		

5. उक्त नियमों में नियम 54 में उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(3) कुछ भी निहित होने के बावजूद, यह नियम इन-सीरीज पंजीकरण चिह्न वाले वाहन पर लागू नहीं होगा।"

6. उक्त नियमों में, प्रपत्र 20 के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

प्रपत्र 20क

[नियम 47(1) (गक) देखें]

कार्यात्मक प्रमाण पत्र

(आधिकारिक लेटर हैड पर मुद्रित किया जाना है)

प्रति

पंजीकरण प्राधिकारी,

…………………………….

…………………………….

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि ………………………………………………… पुत्र/पुत्री ………………………………… हमारी कंपनी / संगठन में …………………………… से काम कर रहे हैं। इसके अलावा यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों में पांच या अधिक कार्यालय हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

दिनांक……………………………..

आधिकारिक मुहर”.

[फा.सं. आरटी-11036/48/2019-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.............(अ), दिनांक .... के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2021

G.S.R. 276(E).—The following draft rules further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (a), clause (d) and clause (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001, Email: comments-morth@gov.in.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

DRAFT RULES

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (………………. Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 47, in sub-rule (1), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: -

"(ca) working certificate in Form 20A, in case the applicant applying for IN-Series registration mark ,works in private sector.

(cb) Official Identity Card, in case the applicant is a government official.

3. In the said rules, in rule 50, after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

XX Last two digit of the year of registration	**XX** India Series code (2) letters as **"IN"**	**XX** #### Two letters starting by AA and ending by ZZ followed by 4 numerals 0001 to 9999".

4. In the said rules, after Rule 51, the following rule shall be inserted, namely: -

"51A. Principle for motor vehicle tax. - (1) In case of non-transport vehicles, the motor vehicle tax shall be calculated electronically through the portal on the basis of invoice price excluding Goods and Services Tax (GST).

(2) The Motor Vehicle Tax levied by the States/UTs at the time of registration in respect of IN- Series non-transport vehicles shall be the following, namely: -

Sr. No.	Invoice Price	Motor vehicle Tax (% of Invoice Price)	Remarks
1.	Below Rs 10 lakh	8%	2% extra charge may be levied for diesel vehicles. Similarly the electric vehicles may be charged 2% less tax.
2.	Rs 10-20 lakh	10%	
3.	Above Rs 20 lakh	12%	

(3) In case, where the vehicle bears IN-Series registration mark, the motor vehicle tax shall be levied electronically through the portal for two years, or in multiples of two, as the case may be, in the following manner, namely: -

Motor Vehicle tax for two years for the vehicle under IN-series registration	=	Motor Vehicle tax as per Invoice Price * 1.25 * 2 / 15
Note: An additional fee of one hundred rupees per day shall be levied in case of delay in payment of road tax.		

5. In the said rules, in rule 54, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(3) Notwithstanding anything contained, this rule shall not apply to the vehicle having IN- series registration mark."

6. In the said rules, after Form 20, the following Form shall be inserted, namely: -

Form 20A

[Refer rule 47(1) (ca)]

Working Certificate

(To be printed on Official Letter Head)

To

The Registering Authority,

…………………………….

…………………………….

We hereby declare that ………………………… …………………………… S/o/D/o……………………………………………… is working in our company/organization from……………………………. It is further to certify that we have offices in five State/UTs or more .

Signature or thumb impression of the Applicant

Signature of the Authorised Signatory of the Organisation

Name of the Authorised Signatory

Date……………………………..

official seal".

[F.No. RT-11036/48/2019 -MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R ………..(E), dated ……………………………………..

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA